

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 227 / 2024
दायर दिनांक :- 27.09.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 273
निर्णय दिनांक :- 23.07.2025

1. नगराम पुत्र मेसाराम जाति जाट निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. भूराराम पुत्र मेसाराम जाति जाट निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र बीरुराम जाति विश्नोई निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. ओमाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. कोजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. गोपाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. बाबूराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. हरीगाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. जयराम पुत्र भोमाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. केशराराम पुत्र जयराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. बंशीलाल पुत्र जयराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. लक्ष्मणराम पुत्र जयराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
11. लेखराज पुत्र जयराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
12. सुखराम पुत्र जयराम जाति विश्नोई निवासी हनुमानसागर तह. घंटियाली जिला फलोदी
13. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड फलोदी जिला फलोदी
14. ग्राम पंचायत नारायणपुरा पंचायत समिति घंटियाली जिला फलोदी
15. लिखमाराम पुत्र मेसाराम जाति जाट निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
16. हीराराम पुत्र मेसाराम जाति जाट निवासी पाबूपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

- उपस्थित :-
1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
 2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली
 3. श्री सुभाष विश्नोई अधि. अ.सं.1 ता 6


सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

-: निर्णय :-

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 777/1 रकबा 9.4211 हैक्टेयर ग्राम पाबुपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 10.05.2023 को जारी आदेश क्रम संख्या 225 की पालना में दिनांक 01.03.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 01.03.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 01.03.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 17 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की और से अधिवक्ता सुभाष विश्णोई ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 ता 16 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पाबुपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 777/1 रकबा 9.4211 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 01.03.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।


 कलेक्टर
 बाण (फलोदी)


अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने बहस में जवाब प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र सरहीन व बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत होने से सब्य खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साध्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पाबुपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 777/1 रकबा 9.4211 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्ड्ड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गडी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 01.03.2024 अनुसार पत्थरगडी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पाबुपुरा पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 777/1 रकबा 9.4211 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्डी मौका फर्द दिनांक 01.03.2024 अनुसार पडोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड्डी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक (सुपेक्टर) पिण्डेल, R.A.S.)
बाप (फलोदी) सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)